निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 5/2025
दायरा दिनांकः-09.09.2025
निर्णय दिनांकः- 31.10.25

उनवान

1. लटूरलाल आयु 65 साल पुत्र श्योलाल जाति कवाड़ी निवासी दुर्जनपुरा रोड़ कच्ची बस्ती बारां तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
2. माधोलाल आयु 59 साल पुत्र श्योलाल जाति कबाड़ी निवासी टावर के पास टांवर कॉलोनी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान
3. मन्नालाल आयु 52 साल पुत्र श्योलाल जाति कबाडी निवासी ग्राम खातोली तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
4. कैलाशबाई आयु 54 साल पुत्री श्योलाल पत्नि भगवानलाल जाति कबाड़ी निवासी गढी चोक कवाई तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
5. कमलेश आयु 37 साल पुत्र रतनलाल जाति कबाडी निवासी भगवानपुरा बंजारा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
6. घनश्याम आयु 35 साल पुत्र रतनलाल जाति कबाड़ी निवासी कबाड़ी मोहल्ला छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
7. कैलाश आयु 33साल पुत्र रतनलाल जाति कबाड़ी निवासी ग्राम रामद्वारा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान
8. सुनिताबाई आयु 40 साल पुत्री रतनलाल पत्नि प्रहलाद निवासी हाउसिंग बोर्ड कच्ची बस्ती बारां तहसील बारा जिला बारां राजस्थान

अपीलान्टगण............

बनाम

1. हंसराज आयु 30 साल पुत्र भंवरया जाति कबाड़ी निवासी हफीजपुरा हाल नि० भगवानपुरा बंजारी तहसील छबडा जिला बारा राजस्थान
2. धनराज आयु 28 साल पुत्र भंवरया जाति कबाड़ी निवासी हफीजपुरा हाल नि० भगवानपुरा बंजारी तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्था
3. चन्द्रकला आयु 40 साल पुत्री भंवरया पत्नि रामप्रसाद जाति कबाडी निवासी हफीजपुरा हाल निवासी खातोली तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान
4. कान्तिबाई आयु 38 पुत्री भंवरया पत्नि प्रेम जाति कबाड़ी निवासी हफीजपुरा हाल निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
5. प्रेमबाई आयु 36 साल पुत्री भंवरया पत्नि राधेश्याम जाति कबाड़ी निवासी हफीजपुरा हाल निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
6. भूलीबाई आयु 34 साल पुत्री भंवरया पत्नि नन्दा जाति कबाड़ी निवासी हफीजपुरा हाल निवासी किशोरपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान
7. ममता आयु 32 साल पुत्री भंवरया पत्नि परसा निवासी हफीजपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चम्पाबाई आयु 60 साल बेवा भंवरया जाति कबाडी निवासी हफीजपुरा हाल निवासी भगवानपुरा बंजारा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

9. भूरीबाई तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पचपाड़ा पंचायत समिति छबडा जिला बारां
10. सरपंच ग्राम पंचायत पचपाडा पंचायत समिति छबडा जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

अपील नामान्तरण नम्बर 216 दिनांक 20/11/2014 ग्राम हफीजपुरा
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः– 31.10.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश कुमार गालव – प्रार्थी (प्रतिवादी)

वाके माल हफीजपुरा तहसील छबडा मे आराजी खसरा नम्बर 144/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, कुल किता 3 तादादी 6 बीघा 15 बिस्वा, भूमि नामान्तरकरण नम्बर 45 दिनांक 21/11/1976 से अपीलान्टगण 1 ता 4 के नाना एवं 5 ता 8 के परनाना भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल जाति कबाडी निवासी हफीजपुरा तहसील छबड़ा के नाम अलोट होकर दर्ज रिकार्ड जमाबंदी हुई थी जिस पर नामान्तरकरण नम्बर 115 दिनांक 04/11/1999 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई थी। तब से अपीलान्टगण कम 1 ता 4 के नाना एंव 5 ता 8 के परनाना के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही थी। जो वर्तमान जमाबंदी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत 2073–2076 जमाबंदी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 60 में खसरा नम्बर 134/1 रकबा 0.3161 हैक्टयर, खसरा नम्बर 155/3 रकबा 0.4299 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.9610 हैक्टयर, कुल किता 3 तादादी 1.7070 हैक्टयर, भूमि स्थित है। अपीलान्टगण कम 1 ता 4 के नाना एंव 5 ता 8 के परनाना भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल फोत हो चुके है। अपीलान्टगण कम 1 ता 4 के नाना एंव 5 ता 8 के परनाना भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल ग्राम हफीजपुरा तहसील छबड़ा में रहते थे जिनके एक मात्र वारिस उनकी लड़की गुलाबबाई होने से उसका विवाह करने के पश्चात ग्राम खातोली तहसील छबड़ा में आकर रहने लगे उसके बाद उनके दोहिते लटूरलाल के पास बारां जाकर रहने लगे। अपीलान्टगण 1 ता 4 के नाना एंव 5 ता 8 के परनाना भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल की मृत्यु दिनांक 11/12/1995 को हो गई एंव अपिलान्टगण कम 1 ता 4 की नानी एंव 5 तारा 8 की परनानी नर्बदीबाई भी फौत हो चुकी है। एंव अपीलान्टगण कम 1 ता 4 की मां गुलाब बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि श्योलाल की मृत्यु दिनांक 20/05/2020 को हो गई है, एंव अपीलान्टगण कम 5 ता 8 की मां भूलीबाई पुत्री श्योलाल पत्नि रतनलाल की मृत्यु दिनांक 06/06/1998 को हो गई है। जिसके पश्चात भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल के वारिस अपीलान्टगण ही है। रेस्पोडेन्टगण कम 1 ता 8 ने अपील की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे राजस्व कर्मचारियो से झूठ बोलकर तथ्य छुपाकर अपीलान्टगण कम 1 ता 4 के नाना एंव 5 ता 8 के परनाना भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल के नाम की आराजी पर नामान्तरकरण नम्बर 216 दिनांक 20/11/2014 दर्ज करवाकर उक्त आराजी मे अपने नाम दर्ज करवा लिये है। जो वर्तमान मे दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्टगण कम 1 ता 8 ने रेस्पोडेन्ट कम 9 से भी झूठ बोलकर अपीलान्टगण कम 1 ता , नाम एंव 5 ता 8 के परनाना भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल का फौती नामान्तरकरण मद बर 1 मे वर्णित आराजी मे अपने नाम स्वीकार करवा लिया। जिसे खारिज करवाने के अपीलान्टगण 1 ता 8 अधिकारी है। अपीलान्टगण कम 1 ता 8 ने अपने नाना / परनाना की आराजी पर अपने नाम फार्मर आइडी बनवाने के लिए नकले निकलवाई तब उनके नाम नकले नही निकली जब अपीलान्ट ने अपने नाम / परनाना के नाम की पुरानी नकले निकलवाई एंव नामान्तरकरण की नकले निकलवाई जो दिनांक 25/08/2025 को अपिलान्टगण को प्राप्त हुई तब अपीलान्टगण को पता चला कि मद नम्बर 1 में वर्णित अपीलान्टगण के नाम / परनाना की आराजी पर नामा० नं0 216 से रेस्पोडेन्टगण कम 1 ता 8 का नाम दर्ज हो गये है। यह तारीख ही अपील का कारण मुखासमत करार दी जाती है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेसपोडेन्ट क्रम 1 8 ता की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। रेसपोडेन्ट 10 स्वंय उपस्थित रेसपोडेन्ट क्रम 9 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी नामान्तरण संख्या 45 ग्राम हफीजपुरा नकल नामान्तरण संख्या 115 ग्राम हफीजपुरा नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2061–64 नकल नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 20.11.2014 नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 60 नकल नामान्तरण संख्या 215 दिनांक 20.09. 2014 नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 70 नकल मृत्यु प्रमाण पत्र भंवरलाल नकल मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाब बाई नकल मृत्यु प्रमाण पत्र भूली बाई नकल मृत्यु प्रमाण पत्र श्योलाल फोटो प्रति आधार कार्ड लटुरलाल, माधोलाल, मन्नालाल, केलाश बाई, कमलेश, धनश्याम कैलाश सुनिता बाई पेंश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थी की अनविज्ञता व कम पढा लिखा होने के कारण अनुरोध किया है कि सेक्शन (5) लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को उदार दृष्टिकोण अपना कर स्वीकार फरमाया जावें। विवादित आराजी वाके ग्राम हफीजपुरा तहसील छबडा मे स्थित है विवादित आराजी भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल को आवंटन हुई थी जिसका नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 21.11.1976 दर्ज हुआ। तथा नामान्तरण संख्या 115 दिनांक 04.11.1999 से खातेदारी दर्ज हुई। खातेदार भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल फोत हो चुका है। अपीलान्ट क्रम 1 ता 4 की मा गुलाब बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि श्योलाल की मृत्यु दिनांक 20.05.2020 को हो गई। है एवं अपीलान्ट क्रम 5 ता 8 की मां भूली बाई पुत्री श्योलाल पत्नि रतनलाल की मृत्यु दिनांक 06.06.1998 को हो गई थी जिसके पश्चात् भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल के वारिसान अपीलान्ट ही है रेसपोडेन्ट क्रम 1 ता 8 द्वारा मृतक भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल का फोती नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 20.11.2014 दर्ज करवाकर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जिसे अपीलान्ट खारिज करवाने का अधिकारी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 216 ग्राम हफीजपुरा खारिज कर अपीलान्ट के नाम फोती नामान्तरण दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलान्ट के नाम नामान्तरण दर्ज करने मे रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है क्योकि नामान्तरण संख्या 216 ग्राम हफीजपुरा रेस्पोडेन्ट के नाम गलत दर्ज हो गया है जिसे खारिज कर अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्यायिक सिद्धन्तों के आधार पर उदार दृष्टिकोण अपनातें हुए सेक्शन (5) लिमिटेंशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार देरी को कन्डोन किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 21.11.1976 से आवटंन दिनांक 20.11.1975 के आधार पर भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 115 दिनांक 04.11.1999 से आवंटी भंवरलाल को खातेदारी दर्ज करने का दर्ज हुआ। नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2057–60 एवं सम्वत् 2061–64 में भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल बतौर खातेदार दर्ज है। नकल नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 20.11.2014 से मृतक भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल के स्थान पर हंसराज, धनराज, पुत्र चन्द्रकला, कान्ती बाई, प्रेमबाई, भूली बाई, ममता बाई, पुत्रीया एवं बेवा चम्पा बाई का नाम दर्ज किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम हफीजपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 60 में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 8 का नाम दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 215 दिनांक 20.09.2014 भंवरलाल फोत होने पर अपीलान्ट के नाम दर्ज किया गया। इससे यह साबित होता है कि मृतक खातेदार भंवरलाल के जायज वारिसान अपीलान्ट है मृतक भंवरलाल पुत्र बिरधीलाल का फोती नामान्तरण उनके जायज वारिसान के नाम दर्ज ना करके रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तरण संख्या 216 को अपीलान्ट खारिज करवाना चाहतें है बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा भी अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना बताया है अतः नामान्तरण संख्या 216 को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 216 20.11.2014 ग्राम हफीजपुरा खारिज किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हफीजपुरा के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 0.3161 है खसरा नम्बर 155/3 रकबा 0.4293 है0 खसरा नम्बर 99 रकबा 0.9610 है0 भूमि पर मृतक भवंरलाल पुत्र बिरधीलाल के वारिसान की जॉच कर नामान्तरण खोलने हेतु तहसीलदार छबडा को रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा